



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 मार्च, 1986

फाल्गुन 20, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 565*सत्रदू-वि-1-1 (क)-5-1986

लखनऊ: 11 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 10 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि- 2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम
नियम संख्या 11 कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और
सन् 1966 की अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1986" रख दिये
धारा 29 का जायेंगे।
संशोधन

धारा 35 का 3--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,
संशोधन शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1986"
रख दिये जायेंगे।

निरसन और 4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित
अपवाद किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

ब्राह्मण से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No: 565 (2) /XVII-V-1- (KA) -5-1986

Dated Lucknow, March 11, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhinyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 2 of 1986), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 1986.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act no. 2 of 1986)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-Seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1985.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. X of 1966.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso thereto, for the word and figures "December 31, 1985" the word and figures "June 30, 1986", shall be substituted.

Amendment of section 35.

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso for the word and figures "December 31, 1985", the word and figures "June 30, 1986" shall be substituted.

Repeal and saving.

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance no. 20 of 1985.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.